

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

खुली बोली के माध्यम से आम, लीची, कटहल, चीकू एवं नाशपाती बागों के बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर 02 फलत वर्षों हेतु दिनांक 19.10.2023 से 31.08.2025 तक आम, लीची, कटहल, चीकू एवं नाशपाती बागों की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों को खुली बोली के माध्यम से दिनांक 18.10.2023 को अपराह्न 2:30 बजे नीलामी आयोजित की जानी है। खुली बोली में बोलीदाताओं को प्रतिभाग किये जाने हेतु धरोहर राशि धनराशि रू० 50,000.00 (रूपये पचास हजार रूपये मात्र) प्रति लाट जमा किये जाने होंगे, तदुपरान्त ही बोलीदाता खुली बोली में प्रतिभाग कर सकेंगे।

बागों का विवरण:-

विभाग का नाम	लाट सं०.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं०-2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18, 22, 23 नम्बर एवं 4बी	47 एकड़
	लाट सं०-3	आम व चीकू क्षेत्र सं० - 5	12 एकड़
	लाट सं०-7	आम क्षेत्र सं० 12 बी (आयु 8 वर्ष)	2.5 एकड़
	लाट सं०-8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं०- 6,7,15	12 एकड़

दो वर्ष हेतु नीलामी की शर्तें:


1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2025 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भांति निरीक्षण कर लें, बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. बोलीदाता प्रत्येक लाट हेतु धनराशि 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) (नगद/बैंक ड्राफ्ट) केंद्र कार्यालय में जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. उच्चतम बोलीदाता एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (नगद/बैंक ड्राफ्ट) को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बोली की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
5. समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोली को अस्वीकृत कर दें।
6. सफल बोलीदाता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
7. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) का बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. बोली समाप्ति के पश्चात् जमा करनी होगी, यदि सफल बोलीदाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतम बोली पर स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी।
9. प्रथम वर्ष फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
10. द्वितीय वर्ष उच्चतम निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.09.2024 तक जमा करनी होगी।

11. शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 28.02.2025 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में बोली में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल बोलीदाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
12. उपरोक्त बिंदु संख्या 08, 10 एवं 11 में वर्णित किशतों की धनराशि के पी0डी0सी0 बैंक (पोस्ट डेटेड बैंक) बोलीदाता द्वारा जमा कराया जायेगा। बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 बैंक में अंकित तिथि से 15 दिन के अन्दर बैंक में जमा कराया जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि बैंक की धनराशि बैंक द्वारा बोलीदाता के हस्ताक्षर न मिलने एवं खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण बैंक बाउन्स होता है तो नीलामी की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा बोलीदाता/ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसी दशा में बोलीदाता/ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. उच्चतम बोलीदाता को धनराशि की सभी किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/ड्राफ्ट/बैंकर बैंक के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. उच्चतम बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किशतों का देय विलम्ब शुल्क आगामी किशत के धनराशि तक जमा करना आवश्यक होगा।
15. जिस ठेकेदार की बोली स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को प्रत्येक वर्ष देनी होगी।

क्र0 सं0	फल बाग का नाम	लाट सं	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की मात्रा (वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में पृथक्-पृथक्)	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	लीची	02	सं0 - 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18, 22 23 नम्बर एवं 4बी	1500 कि0ग्रा0	500 फल
2.	आम व चीकू	03	सं0 - 5	आम 200 कि0ग्रा0 चीकू 200 कि0ग्रा	100 फल 50 फल
3.	आम	07	सं0- 12 बी (आयु 8 वर्ष)	आम 250 कि0ग्रा0	100 फल
4.	नाशपाती कटहल व लीची	08	सं0- 6,7,15	नाशपाती 200 कि0ग्रा0, लीची 150 कि0ग्रा0 व कटहल 50 कि0ग्रा0	100 फल 100 फल

18. ठेकेदार द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की पूरी मात्रा केंद्र को नहीं दी जाती है तो शेष मात्रा की भरपाई हेतु धनराशि ठेकेदार को प्रत्येक वर्ष नकद जमा करनी होगी। ठेकेदार द्वारा नकद धनराशि जमा न करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि से कटौती की जायेगी।
19. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा।

20. ठेकेदार को अपना तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
21. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो ठेकेदार से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
22. सफल बोलीदाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की काँट-छाँट की जायेगी।
23. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल-पौध तैयार करने हेतु आम, आड़ू, प्लम एवं नाशपाती बाग से साइन लेने एवं लीची बाग में एयर लेयरिंग बांधने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
24. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केंद्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केंद्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
25. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
26. सफल बोलीदाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
27. सफल बोलीदाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट-पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट-पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
28. सफल बोलीदाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
29. केंद्र द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल बोलीदाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल बोलीदाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
30. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


 11/10/2023
 संयुक्त निदेशक
 उद्यान अनुसंधान केंद्र
 पत्थरचट्टा